भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4489
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडिशा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल कनेक्शन

4489. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) देश के पूर्वी भाग, विशेषकर ओडिशा में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किये जाने वाले कुल घरों की संख्या कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा सामुदायिक स्तर पर चलाए गए अभियान और पहल सहित जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(ग) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले नल के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई मानक स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाली नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। ओडिशा सहित देश के पूर्वी हिस्से में 24.03.2025 तक नल जल कनेक्शनों का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है:

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल ग्रामीण परिवार**	**दिनांक 15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार**		**दिनांक 24.03.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार**	
			संख्या	**% में**	**संख्या**	**% में**
1.	बिहार	167.55	3.16	1.89	160.36	95.71
2.	झारखंड	62.55	3.45	5.52	34.29	54.81
3.	ओडिशा	88.69	3.11	3.51	67.94	76.59
4.	पश्चिम बंगाल	175.56	2.15	1.23	96.69	55.07

स्रोत: जेजेएम डैशबोर्ड

(ख): जल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपगत जलापूर्ति अवसंरचना सृजित करने के अतिरिक्त जल जीवन मिशन का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों का क्षमता निर्माण, गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों के स्वामित्व, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी नेतृत्व करना भी है। इसके लिए जेजेएम में राज्यों को वार्षिक आवंटन का 5% तक सहायता कार्यकलाप निधि के रूप में प्रावधान किया गया है। राज्यों द्वारा इस निधि का उपयोग विभिन्न सहायक कार्यकलापों के लिए किया जाता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) कार्यकलाप शामिल हैं जिनका उद्देश्य जल के विवेकपूर्ण उपयोग, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पहलुओं के संबंध में हितधारकों के बीच सकारात्मक व्यवहारवादी परिवर्तन लाना है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल जीवन मिशन को एक '*जन आंदोलन*' बनाने के लिए हितधारकों के बीच आईईसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान - कैच द रेन (जेएसए-सीटीआर) अभियान के विभिन्न संस्करण शुरू किए हैं जो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं पर केंद्रित हैं। हाल ही में, 22 मार्च 2025 को देश भर में जल शक्ति अभियान का नया संस्करण शुरू किया गया, जिसका विषय "जल संरक्षण के लिए जन कार्रवाई - गहन सामुदायिक सहबद्धता की ओर" था, जिसमें 148 फोकस जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया था। यह पहल सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देती है।

(ग): जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस: 10500 को बैंचमार्क के रूप में अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो पेयजल गुणवत्ता के लिए विभिन्न भौतिक-रासायनिक और जीवाणु विज्ञानीय पैरामीटरों के लिए वैकल्पिक स्रोत के अभाव में स्वीकार्य सीमा और अनुमेय सीमा विनिर्दिष्ट करता है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****